महत्वपूर्ण / शीर्ष वरीयता / स्मरण पत्र
संख्याः 4778-95/23(1)–नौं / 2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा　　　　　　　　दिनांक 17 अक्टूबर, 2013

विषय :– **उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली–2013 के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या / 4591–4612 / 21(1)–नौं / 2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 जो मण्डलीय व जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली–2013 के अन्तर्गत किये गये शिक्षकों के अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरणों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसके क्रम में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरणों व उसके सापेक्ष कार्यभार मुक्त व ग्रहण की सूचना मण्डलों से प्राप्त हुई, जिसका संयुक्त संख्यात्मक विवरण निम्नवत है (**गढ़वाल मण्डल से स्थानान्तरण शिक्षकों के सापेक्ष कार्यभार मुक्त व कार्यभार ग्रहण नहीं की सूचना अप्राप्त है, जिसके कारण स्तम्भ–5 व 8 में उनकी अंकना नहीं है**):–

संवर्ग	कुल स्थानान्तरण	कार्यभार मुक्त	कार्यभार मुक्त नहीं	योग (4+5)	कार्यभार ग्रहण	कार्यभार ग्रहण नहीं	योग (7+8)	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्थानान्तरणों का विवरण (X To Y)								
प्रवक्ता	134	109	19	**128**	57	40	**97**	गढ़वाल मण्डल से कार्यभार मुक्त व ग्रहण नहीं की सूचना अप्राप्त है
स.अ. एल.टी.	216	186	27	**213**	118	71	**189**	
योग	**350**	**295**	**46**	**341**	**175**	**111**	**286**	
स्थानान्तरणों का विवरण (Y To X)								
प्रवक्ता	87	63	19	**82**	61	11	**72**	
स.अ. एल.टी.	209	181	20	**201**	160	34	**194**	6 के आदेश निरस्त
योग	**296**	**244**	**39**	**283**	**221**	**45**	**266**	
कुल योग	**646**	**539**	**85**	**624**	**396**	**156**	**552**	

कुल स्थानान्तरण 646 शिक्षकों के सापेक्ष कार्यभार मुक्त मात्र 539 ही, जबकि 107 शिक्षकों के अद्यतन कार्यमुक्त नहीं हुये हैं (गढ़वाल मण्डल से कार्यभार मुक्त की सूचना अप्राप्त होने के कारण कुल स्थानान्तरित शिक्षकों में से कार्यभार मुक्त शिक्षकों की संख्या को घटाकर शेष को कार्यभार मुक्त नहीं में जोड़ दिया गया है)। इसी प्रकार 539 कार्यभार मुक्त शिक्षकों में से मात्र 396 शिक्षकों द्वारा ही स्थानान्तरित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण किया गया है, शेष के सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त है।

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली–2013 के प्रस्तर–28 में स्थानान्तरित किये जाने वाले अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तारीख के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त हो कर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा का प्रावधान है। इस प्रावधान के बावजूद भी कतिपय शिक्षक अद्यतन अपने स्थानान्तरित विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त नहीं हुये है तथा कई शिक्षकों द्वारा कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के सापेक्ष जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण कियाग या है, वे निर्धारित समयान्तर्गत अपने मूल तैनाती स्थल से कार्यमुक्त क्यों नहीं हुये तथा जो शिक्षक कार्यमुक्त हो चुके हैं, उनके द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में अद्यतन कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं किया गया है। स्थानान्तरित शिक्षक आज की तिथि में कहां पर बने हुये हैं, का पूर्व विवरण (शिक्षक का नाम पद नाम, पूर्व कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालय सहित) तैयार करें। जो शिक्षक अद्यतन कार्यभार मुक्त नहीं हुये, उनके व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्थानान्तरित शिक्षक का स्थानान्तरण के उपरान्त पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित हुआ है अथवा नहीं।

उक्त कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाय व एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 4778-95/23(1)–नौं/2013 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री जी को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड